## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,**
**सदस्य**

निगरानी प्रकरण कमांक 1296–एक/09 विरूद्ध आदेश, दिनाक 7–9–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 47/08–09अपील.

1 श्रीमती कमला देवी पत्नी जानकीशरण बुधौलिया
2 रामकुमार पुत्र श्री जानकीशरण
निवासी ग्राम जौरीताल, तहसील सेवढा जिला दतिया म0 प्र0

.....आवेदकगण

**विरूद्ध**

1 माधुरी देवी पत्नी स्व0 श्री लालजीराम
2 कु0 दिव्या नाबालिक पुत्री स्व0 लालजीराम
संरक्षक द्वारा मॉ श्रीमती माधुरी देवी पत्नी लालजीराम
निवासीगण ग्राम जौरीताल तहसील सेवढा, जिला दतिया म0 प्र0
3 मौजा पटवारी जौरीताल द्वारा तहसीलदार सेवढा, जिला दतिया म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री आर0 एस0 सेंगर एवं श्री पी0के0तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 एवं 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9.2.16 को पारित)

यह प्रकरण निगरानी प्रकरण कमांक 1296–एक/09 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 47/08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–9–2009 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । तहसील सेवढ़ा ग्राम जोरीताल के सर्वे नंबर 14 के 1/2 भाग एवं सर्वे नंबर 44, 53 और 455 के 2/3 भाग के भूमिस्वामी लालजीराम थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 28–12–02 को हुई । लालजीराम की मृत्यु के बाद ग्राम जोरीताल की नामांतरण पंजी के सरल कमांक 7 पर दिनांक 1–3–03 को की गई प्रविष्टि को, तहसीलदार सेवढा ने उनके आदेश दिनांक 26–3–03 से प्रमाणित कर उक्त भूमि का वारसाना नामांतरण लालजीराम की मां कमलादेवी (निगराकार 1) उनकी विधवा माधुरी (गैर निगराकार कमांक–1) एवं उनकी नाबालिग पुत्री दिव्या (गैर निगराकार कमांक–2) के हित में समान भागों हेतु कर दिया । इसके विरूद्ध लालजीराम की विधवा माधुरी ने अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के समक्ष अपील की, जहॉ प्रकरण कमांक 91/02–03/अपील में आदेश दिनांक 6–6–06 से अपील अस्वीकार हुई । इसके विरूद्ध माधुरी ने अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील की, जहां प्रकरण कमांक 47/08–09/अपील में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 7–9–09 से विलंब माफ करते हुए अपील स्वीकार की गई और अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त कर दिए गए । इसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में लालजीराम की मॉ कमला देवी एवं लालजी के भाई रामकुमार की ओर से यह निगरानी दायर हुई ।

3/ मैने प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने, लिखित तर्क पढ़े, एवं अभिलेख का अध्ययन किया ।

निगराकार पक्ष द्वारा अपने तर्क में यह बिन्दु उठाया गया है कि वाद भूमि लालजीराम की खानदानी (पैतृक) भूमि थी, तथा उत्तराधिकार से संबंधित विधि के प्रकाश में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश सही हैं और अपर आयुक्त का आदेश गलत है । उन्होंने यह भी कहा कि गैरनिगराकार कमांक–1 माधुरी स्वंय एक आंगनवाडी कार्यकर्ता होकर जागरूक महिला है, एवं उसके द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने में हुए विलंब को अपर आयुक्त द्वारा माफ किया जाना उचित नहीं था । इन आधारों पर उन्होंने अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया ।

गैर निगराकार पक्ष का तर्क है कि अपर आयुक्त ने समुचित कारणों के आधार पर उनके न्यायालय में अपील प्रस्तुतिकरण के विलंब को माफ किया है । उनका यह भी तर्क है कि उत्तराधिकार की विधि के संबंध में अपर आयुक्त द्वारा की गई विवेचना और उसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष सही और स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

4/ प्रकरण में अध्ययन उपरान्त मैं निम्न प्रमुख बिन्दु विचार योग्य पाता हूँ :–

(1) वाद भूमि लालजीराम की स्वअर्जित सम्पत्ती थी या वह उनकी पैतृक सम्पत्ती थी ।

(2) उपरोक्त (1) के तारतम्य में जो भी स्थिति लागू हो, उसके प्रकाश में लालजीराम की निर्वसीयत मृत्यु होने पर उनकी माता, विधवा–पत्नी, नाबालिग पुत्री और भाई (रामकुमार निगराकार क्रमांक–2) को लालजीराम की उक्त सम्पत्ती के संबंध में क्या अधिकार उद्भूत होंगे ।

5/ उपरोक्त बिन्दु 4 (1) के संबंध में विचारण या अपीलीय न्यायालय को साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण, जॉच आदि के आधार पर बोलते स्वरूप के स्पष्ट निष्कर्ष निकालने चाहिए थे, जिसका मैं सभी अधीनस्थ न्यायालयीन आदेशों में अभाव पाता हूँ । अतः इस बिन्दु पर उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का पूर्ण अवसर देते हुए और आवश्यकतानुसार साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण, जॉच आदि करते हुए स्पष्ट बोलते स्वरूप के तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालने के लिए मैं अपर आयुक्त को निर्देश देता हूँ ।

6/ उपरोक्त बिन्दु 4 (2) के तारतम्य में मैं सर्वप्रथम तो यह पाता हूँ कि विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आदेश में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की जिस धारा 8 का संदर्भ लिया है, उसके अनुसार अधिनियम की अनुसूची में श्रेणी–1 के उत्तराधिकारियों को प्रथमतः, पुरूष हिन्दू के निर्वसीयत मृत होने पर उसकी सम्पत्ती उत्तराधिकार में प्राप्त होने का लेख है। इस अनुसूची के अनुसार श्रेणी 1 के उत्तराधिकारियों में पुत्र पुत्री, विधवा, माँ एवं अन्य शामिल हैं । निगराकार पक्ष की ओर से भी यह बिन्दु उनके लिखित तर्क के पैरा–14 में उठाया गया है, साथ ही पैरा 15 से 17 में विषयांकित उत्तराधिकार की विधि की आगे व्याख्या की गई है, जो सही है । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने धारा 8 एवं उत्तराधिकार विधि के संबद्ध

प्रावधानों की सही व्याख्या नहीं की है, और यह व्याख्या त्रुटिपूर्ण तरीके से करते हुए अपना निष्कर्ष निकाला है ।

अतः, मैं अपर आयुक्त को यह निर्देश भी देता हूँ कि उत्तराधिकार विधि के संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार तथा उपरोक्त पैरा 5 में पाए गए निष्कर्ष के प्रकाश में, वे पुनः उभयपक्ष को समर्थन का अवसर देकर, विधि एवं तथ्यों का विस्तार से सही उल्लेख एवं विवेचना कर उनके आधार पर नए सिरे से बोलते स्वरूप का आदेश उनके अपील प्रकरण कमांक 47/08–09 अपील में पारित करें । यह नवीन आदेश, अपर आयुक्त, उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 3 माह के भीतर, पारित करें ।

7/ इसके साथ ही अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 7–9–2009 एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है । साथ ही अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश अपर आयुक्त का नया आदेश पारित होने तक के लिए प्रभावहीन किये जाते हैं ।

आदेश पारित ।
पक्षकारगण सूचित हों ।
अभिलेख वापस हों ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

9.2.16

**(आशीष श्रीवास्तव)**
**सदस्य**
**राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश**
**ग्वालियर**